# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

---

प्र.सं. 20/2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/145

1. प्रमोद कुमार पुत्र नानूराम जाति धानक निवासी चक 2 जीबी ए तह. श्रीविजयनगर

—अपीलार्थी

बनाम

1. छगनलाल पुत्र खेताराम जाति नायक निवासी चक 2 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
2. सरपंच ग्राम पंचायत चक 2 जीबी ए पंचायत समिति श्रीविजयनगर
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीविजयनगर

—प्रत्यर्थीगण

**निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994**

उपस्थिति :—

1. श्री योगेन्द्र कुमार, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री नरेन्द्र चुघ, श्री गुरकृपाल सिंह अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता/अप्रार्थी सं. 1

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 02.04.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. निगरानीकर्ता द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीविजयनगर के निर्णय दिनांक 15.02.2019 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी। निगरानी पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ में दिनांक 18.10.2019 को मियाद के बिन्दू पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज(प्रकरण सं. 53/2019) हुई थी। पत्रावली बाद हस्तांतरित प्राप्त होने पर इस न्यायालय में नम्बर 20/2023 पर दर्ज की गयी।
2. निगरानीकर्ता निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा चौक की भूमि पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर लिया जिसे सरपंच ग्राम पंचायत 2 जीबी द्वारा अप्रार्थी के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र को नियमन पट्‌टा जारी करने से इन्कार कर दिया व प्लाट नं. सी.सी. जो कि चौक का ही एक पार्ट हैं को सरपंच 2 जीबी द्वारा माना कि उक्त भूखण्ड चौक का पार्ट हैं। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी छगनलाल द्वारा एक निगरानी ए.डी.एम. सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की। ए.डी.एम. के निर्णय दिनांक 16.05.2017 के अनुसरण प्रकरण में रिमाण्ड आदेश पारित किये गये कि प्रकरण की जांच कर 90 दिवस में नियमानुसार निर्णय पारित करें। विकास अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण ग्राम पंचायत को रेफर कर दिया जिस पर ग्राम पंचायत में दिनांक 06.09.2017 को नोटिस जारी किया। अनेक ग्राम निवासियों द्वारा अधिकतर आपत्ति उठाया कि उक्त प्लाट सी.सी. चौक/गुवाड़ का ही एक भाग हैं। जो किसी भी व्यक्ति को अलौट नहीं किया जा सकता तथा अतिक्रमण शुदा भूमि से अप्रार्थी को बेदखल किया जावे। उक्त तमाम आपत्ति के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.12.2017 को पंचायती राज अधिनियम 1994 की अनदेखी करते हुए अप्रार्थी छगनलाल के पक्ष में प्लाट सी.सी. जो कि 50 X 50 कुल 2500 वर्ग फुट को रेग्यूलाईज करते हुये पट्‌टा जारी कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्ता के द्वारा आदेश दिनांक 20.12.2017 के विरूद्ध अति. क्लैक्टर सूरतगढ़ के समक्ष एक निगरानी प्रस्तुत की एवं स्वीकार करते हुए दिनांक 06.03.2018 को निर्णय पारित हुए प्रकरण पुनः विकास अधिकारी को प्रेषित [illegible] व आदेश इस निर्देश के साथ पारित किया गया कि प्रकरण में कमेटी [illegible] कर सरपंच को तलब कर सुना जावें तथा अन्य पक्षकारों को [illegible] की है को भी सुना जावें व नियमानुसार निर्णय पारित किया जावें। [illegible] अधिकारी पंचायत समिति श्रीविजयनगर के द्वारा बिना कमेटी गठित किये व आपत्तियां सुने बिना व ना आपत्ति कर्ता को जरिये नोटिस सूचित किये व [illegible] सरपंच को तलब किये पु[illegible] कमेटी के निर्णय के आधार पर ही दिनांक 15.02.2019 को निर्णय पारित कर दिया, जो कि पूर्णतया विधि विरूद्ध हैं, रिकार्ड व आपत्तियों की अनदेखी कर निर्णय पारित किया हैं जो कि ए.डी.एम. सूरतगढ़ द्वारा पारित निर्देशों की अवहेलना की तारीफ में आता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:52:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

3. अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि उसका उक्त प्लाट सी.सी. पर कब्जा 35 वर्षों से हैं व प्रार्थी द्वारा जो आई.डी. प्रस्तुत की हैं उसमें उसकी उम्र 20 वर्ष हैं आज उसकी उम्र 45 वर्ष बनती है जो एक बच्चे को जिसकी उर्म 10 वर्ष है व अपने माता पिता के पास संरक्षण में रहता है का कब्जा किस आधार पर माना गया है स्पष्ट नहीं होता। जो व्यस्क भी नहीं है ऐसी अवस्था में विकास अधिकारी द्वारा अपना विवेक इस्तेमान नहीं किया बल्कि नाबालिग का भूखण्ड पर अतिक्रमण को विधि सम्मत माना। कानून में/नियमों में नाबालिग को भूखण्ड के आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है फिर भी विकास अधिकारी द्वारा आवंटन को बहाल रखा जो पूर्णतया गलत हैं। आदेश पारित करते समय घोर अनियमितता की गई है, इसलिए निर्णय दिनांक 15.02.2019 निरस्ती योग्य हैं।

4. गांव 2 जीबी एक पुराना गांव हैं जो कि बीकानेर स्टेट टाईम से है। बीकानेर स्टेट द्वारा जारी एक नक्शा दिनांक 27.07.1943 का अप्रूवड हैं। इस नक्शा में ए,बी,सी,डी मार्क हैं इसके उतर पासा में प्लाट नं. 17–18, 25–24 अंकित हैं। दक्षिण पासा में प्लाट नं. 3–4, 11–10 अंकित हैं। प्लाट सी.सी. कहीं पर भी अंकित नहीं हैं केवल अप्रार्थी को फायदा पंहुचाने की गरज से सरपंच द्वारा एक नया प्लाट अपने लिये व अप्रार्थी के लिए निर्मित किया तथा नक्शा में जानबूझकर नया क्रिएशन किया, अप्रार्थी सं. 2 पूर्व सरपंच रूपाराम थे सरपंच पद पर तैनात रहते हुये स्वयं के नाम एक पट्टा जारी करवाया जिसे बाद में भूलवश मानते हुए निरस्त कर दिया गया उसी समय छगनलाल के पक्ष में भी पट्टा जारी शुदा को निरस्त किया गया। उक्त तमाम नोट आवंटन पट्टा रजिस्टर के क्रमांक.......कटिंग कर अंकित किये गये है जो कि स्पष्टया मिलीभगत का परिणाम है, क्रमांक 50 में सी.बी. – सी.सी. का अंकन कर रिकार्ड में हेराफेरी की है, उक्त भूमि जिसका पट्टा बीकानेर स्टेट से जारी है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को आवंटित पट्टा व नक्शा की मांग की तो सरपंच महोदय द्वारा मूल नक्शा पट्टा नहीं होने की बात की जबकि असल पट्टा व नक्शा उनके धारण में हैं। भू खण्ड प्लाटों का सर्वप्रथम आवंटन भूतपूर्व सरपंच डोगर सिंह द्वारा नक्शे के मुताबिक उस समय उक्त प्लाट आवंटन किये गये थे जो कि स्टेट द्वारा अप्रूवड नक्शे के मुताबिक किये गये अब नये प्लाट क्रिएशन करने की मूल चाल पूर्व सरपंच रूपाराम की हैं। जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत चक 2 जीबी सरपंच व सचिव द्वारा जारी पत्र दिनांक 24.06.2015 से भी होती हैं।

5. अप्रार्थी सं. 3 द्वारा न कमेटी का गठन किया ना ही गांव के निवासियों की आपत्तियों को सुना व ना ही उन्हें आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका दिया इससे पूर्व जो आपत्तियां प्रस्तुत की गई थी उन काश्तकारों को तलब तक नहीं किया गया। निगरानीकर्ता द्वारा आदेश दिनांक 15.02.2019 के विरूद्ध एक रिट नं. 13809/2019 माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में की जिसमें दिनांक 17.09.2019 को आदेश पारित किया जिसमें रिट वापिस लेने के आदेश के साथ रिवीजन प्रस्तुत करने की इस्तदुआ के साथ वापिस ले ली। पारित आदेश से मियाद का फायदा भी प्रदान किया। निगरानी अंदर मियाद हैं। विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीविजयनगर के आदेश दिनांक 15.02.2019 को नियम विरूद्ध मानते हुए निरस्त किया जावे तथा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में नियमन किये गये भूखण्ड चक 2 जीबी ए भूखण्ड सं. सी.सी. 50 X 50 कुल 2500 वर्ग फुट का नियमन आदेश निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

6. गैरनिगरानी कर्ता सं. 2 सरपंच ग्राम पंचायत 2 जीबी ए गुरमीत सिंह की ओर से दिनांक 30.12.2019 को जवाब निगरानी पेश हुआ। अप्रार्थी जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पट्टा व आदेश दिनांक 15.02.2019 पंचायत राज नियमों के तहत जारी किया गया हैं। निगरानी सारहीन होने के [illegible] करने हेतु निवेदन किया। प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.20[illegible] को निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत 2 जीबी ए [illegible] तलब किये जाने के आदेश दिए गये। दिनांक 22.02.2024 को सरपंच [illegible] पंचायत 2 जीबी ए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गांव 2 जीबी ए के चौक में अतिक्रमण हैं। 240 X 240 का चौक हैं। इसमें पूर्व सरपंच ने प[illegible] काट दिया हैं। 50 X 50 का पट्टा निःशुल्क काटा गया हैं। जो पंचायतराज नियम के विरूद्ध हैं। आबादी भूमि के रिकार्ड में कांटछांट करके पूर्व सरपंच के द्वारा पंचायतकी भूमि पर अतिक्रमण करवा दिया हैं। आज काटे गये पट्टे को तुरन्त प्रभाव से निरस्त करें ताकि चार दिवारी करके खेल मैदान तैयार करें। अप्रार्थी सं. 3 विकास अधिकारी, पंचायत

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:52:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर अनूपगढ़

समिति श्रीविजयनगर की ओर से वस्तुस्थिति रिपोर्ट क्रमांक/पंचायत शाखा/2023–24/9853 दिनांक 28.03.2024 पेश हुई।

7. बहस वकील निगरानीकर्ता एवं गैर निगरानीकर्ता सं. 1 सुनी गयी। प्रकरण में मियाद के बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए निगरानी दर्ज करने के आदेश पारित किये गये थे। प्रकरण में निगरानीकर्ता की ओर से छायाप्रति आदेश माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर के प्रकरण एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 13809/2019 प्रमोद कुमार बनाम स्टेट आदि में पारित निर्णय दिनांक 17.09.2019 की प्रति प्रस्तुत की गयी हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय पारित किया हैं कि " After arguing for sometime, Mr. Chawla learned counsel for the petitioner seeks permission to withdraw the present writ petition, with liberty to file revision petition under Section 97 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, against the impugned order dated 15-02-2019 passed by the Panchayat Samiti, Shrivijaynagar.

With the liberty aforesaid, the writ petition is dismissed as withdrawn.

If the petitioner files a revision petition, alongwith an application seeking condonation of delay within a period of one month from today, the revisoinal authority shall decide the same in accordance with law."

निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता हैं।

8. अधिवक्ता निगरानीकर्ता अपनी बहस में निगरानी में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पंचायत द्वारा असल नक्शा स्टेट टाईम बीकानेर का पेश नहीं किया हैं, पंचायत द्वारा प्रस्तुत नक्शा में प्लॉट क्रिएट किया गया हैं। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा 10 वर्ष के बच्चे का प्लॉट पर कब्जा दिखाते हुए नियमन कर पट्टा जारी कर दिया गया। पट्टा पर ग्राम विकास अधिकारी/सचिव के हस्ताक्षर नहीं किये गये। विकास अधिकारी द्वारा आपित्तयों को बिना सुने आदेश पारित किया हैं। राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 136 के तहत सार्वजनिक चौक की भूमि कॉमन भूमि होने के कारण ग्राम पंचायत में निहित हैं, जिसका विक्रय करने या पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत नक्शा के अनुसार मूल नक्शा में छेड़छाड़ की गयी जो सक्षम अधिकारी से अनुमोदित नहीं हैं। सार्वजनिक चौक की जगह किसी को आवंटित नहीं की जा सकती थी, आदेश पारित करते समय आपत्तिकर्ताओं को नहीं सुना गया। अतः पारित आदेश विधिविरूद्ध होने से खारिज करने के लिए निवेदन किया।

9. अधिवक्ता निगरानीकर्ता के द्वारा न्यायिक दृष्टांत मा. उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर डीबी स्पे.अपील.रिट.नं. 1493/2019 नि.दि. 28.03.2024, एसबी सिविल रिट पिटीशन नं. 14194/2015 नि.दि. 11.01.2018, एसबी सिविल रिट पिटीशन नं. 143/2012 नि. दि. 24.07.2017, एसबी सिविल रिट पिटीशन नं. 7675/2011 नि. दि. 15.07.2016, आरएलडब्लयू 2017(1) पेज सं. 221, आरएलडब्ल्यू2013(3) पेज सं. 2753 के उद्धरण प्रस्तुत किये।

10. गैर निगरानीकर्ता सं. 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विकास अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत हैं। आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित किया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा सही हैं, चौक की जगह नहीं हैं। [illegible] बिना साक्ष्य के आधार पर भूमि को चौक की जगह होना बताया [illegible] कर्ता के द्वारा निगरानी के साथ छायाप्रति नक्शा प्रस्तुत [illegible] है, जिस कारण प्रस्तुत नक्शा की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं [illegible] कारण विश्वास नहीं किया जा सकता हैं। पंचायतराज अधिनियम के द्वारा गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों को भूमि आवंटन करने के प्रावधान किये गये हैं। [illegible] को भी आवासीय भूमि का पट्टा दिया गया हैं। जो विधिवत हैं। निगरानीकर्ता प्रभावित पक्षकार नहीं होने से निगरानी प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं हैं। निगरानी खारिज करने हेतु निवेदन किया। गैरनिगरानीकर्ता के अधिवक्ता की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2008(2)डीएनजे राज.–1 पेज सं. 735 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:52:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

11\. उभयपक्ष अधिकवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया। प्रकरण में निगरानीकर्ता के द्वारा मुख्य रूप से यह तथ्य उठाया हैं कि ग्राम पचांयत द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के नाम से जारी पट्टा तथा अप्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीविजयनगर का आलौच्य आदेश विधिसम्मत नहीं हैं क्योंकि जो पट्टा जारी किया गया हैं वह गांव के सार्वजनिक चौक की जगह हैं, जिसका पट्टा किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता हैं, तथा ग्राम पंचायत की अधिकारिता के बाहर हैं। अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा यह कथन किया गया हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विधिसम्मत हैं। विकास अधिकारी द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 15.02.2019 के द्वारा ग्राम पंचायत के पट्टा को बहाल रखा गया हैं। निगरानी अस्वीकार की जावे।

12\. गैरनिगरानीकर्ता सं. 1 द्वारा एतराज उठाया गया हैं कि निगरानीकर्ता प्रभावित पक्षकार नहीं होने के कारण निगरानी प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं हैं। इस संबंध में निगरानीकर्ता अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया हैं कि प्रकरण में प्रश्नगत पट्टा की भूमि ग्राम पंचायत की सार्वजनिक चौक की भूमि हैं, जिस पर प्रत्येक नागरिक का समान अधिकार हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति हितबद्ध हैं। धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की उपधारा 1 में **"राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर"** शब्दों का प्रयोग किया गया हैं। न्यायालय निगरानीकर्ता द्वारा कथित अभिमत से सहमत हैं। निगरानीकर्ता को इस संबंध में निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार हैं, परन्तु निगरानी के तथ्यों को सिद्ध करने का भार निगरानीकर्ता पर हैं।

13\. पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया हैं कि निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत नक्शा प्रमाणित नहीं हैं, जिस कारण उक्त दस्तावेज पर पूर्णतः विश्वास नहीं किया जा सकता हैं। ग्राम पंचायत की ओर से प्रस्तुत नक्शा में भिन्नता हैं। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 26.12.2017 को भूखण्ड सं. सी.सी. का साईज 2500 वर्गफुट(277.78 वर्गगज) का पट्टा अप्रार्थी छगनलाल के पक्ष में जारी किया गया हैं, विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीविजयनगर के द्वारा पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति में दर्ज अपील में निर्णय दिनांक 15.02.2019 को पारित करते हुए पट्टा को बहाल रखा हैं। प्रकरण में निगरानीकर्ता के आवेदन पत्र दिनांक 13.11.2019 के द्वारा कमिश्नर की नियुक्ति कर मौका जांच करवाये जाने हेतु निवेदन करने पर तहसीलदार श्रीविजयनगर को मौका कमिश्नर नियुक्त करते हुए मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2020/1062 दिनांक 21.09.2020 के बिन्दू सं. 4 में तहसीलदार द्वारा अंकित किया गया हैं कि "इस परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत से साक्ष्य/दस्तावेज मांगे तथा पंचायत द्वारा तत्समय उपलब्ध करवाये गये नक्शा व ग्राम आबादी रजिस्टर का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर उपलब्ध करवाये गये आबादी के नक्शे के मध्य में खाली स्थान का आबदी भूमि रजिस्टर से मिलान किया, तो पाया कि उक्त खाली स्थल की सार्वजनिकता/गैरसार्वजनिकता, स्वामित्व आदि का भूमि रजिस्टर में कोई अंकन नहीं मिला।" निगरानीकर्ता के द्वारा उक्त भूमि को ग्राम पंचायत के सार्वजनिक चौक की भूमि होने का कथन किया हैं इसलिए इसे सिद्ध करने का भार भी निगरानीकर्ता पर हैं, जिसे निगरानीकर्ता सिद्ध करने में असफल रहे हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

14\. निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी में निवेदन किया गया हैं कि विकास अधिकारी द्वारा निर्णय पारित करते समय आपत्तिकर्ताओं को [illegible] अवसर नहीं दिया। विकास अधिकारी के निर्णय दिनांक 15.02.2019 के [illegible] पे[illegible] अंकित किया गया हैं कि संबंधित पक्षों को पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थाई समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया [illegible]ांक 11.09.2018 को संतली पत्नी कुम्भाराम जाति नायक निवासी 2 जी.बी. द्वारा ब्यान दिये गये कि ग्रामवासी उक्त पटटे पर पौधारोपण करना चाहते हैं तथा [illegible]च्चों के लिए खेल मैदान की आवश्यक्ता है, स्कूल के पास अन्य कोई मैदान नहीं हैं। छगनलाल का इस प्लाट से कब्जा हटवाया जावे। छगनलाल पुत्र खेताराम द्वारा ब्यान दिये गये कि वह 1981 से इस जगह पर मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा हैं। जारी पटटा वैद्य हैं, अप्रार्थीगण उसके रिश्तेदार है तथा पारिवारिक झगड़े की वजह से शिकायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:52:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

की गई हैं। सरपंच द्वारा ब्यान दिये गये कि छगनलाल के नाम से जारी पट्टा पंचायत राज नियमों के अनुसार जारी किया गया है। जिसे सही माना जावे।

15. विकास अधिकारी द्वारा पारित निर्णय में अंकित किया गया हैं कि प्रशासन एवं स्थापना समिति की बैठक दिनांक 13.02.2019 को सभी पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार विमर्श किया गया समिति के सदस्यों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया था। प्रशासन एवं स्थापना समिति की बैठक दिनांक 13.02.2019 के प्रस्ताव सं. 9 द्वारा निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत 2 जीबी द्वारा छगनलाल को आवासीय पट्टा जारी करने से पूर्व सभी कार्यवाही नीति संगत तरीके से संपादित की गई हैं। आमजन से उक्त पटटे के संबंध में आपत्तियां दर्ज कराने हेतु समाचार पत्र में विज्ञापन भी जारी किया गया। उसके उपरान्त भी किसी द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई। छगनलाल के पास ग्राम में अन्य कोई आवासीय भूखण्ड भी मौजूद नहीं हैं एवं ग्राम पंचायत 2 जी.बी. द्वारा इनको आवासीय पट्टा जारी किया गया हैं।

16. उपयुक्त मद सं. 14–15 में किये गये विवेचन से स्पष्ट हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व तथा विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीविजयनगर के द्वारा आदेश दिनांक 15.02.2019 पारित करने से पूर्व पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति के द्वारा संबंधित पक्षों के ब्यान लेने तथा मौका निरीक्षण किये जाने उपरान्त आदेश पारित किया गया हैं। अतः विकास अधिकारी द्वारा पारित ओदश उचित हैं जिसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त निगरानीकर्ता यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि जारी पट्टा के भूखण्ड की भूमि सार्वजनिक चौक की हैं। ऐसी स्थिति में निगरानी निगरानीकर्ता खारिज योग्य हैं।

17. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निगरानी निगरानीकर्ता अस्वीकार की जाती हैं।

**निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 02.04.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(अवधेश मीना)
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:52:45 IST
Reason: SelfAttested